

लॉकर / सुरक्षित जमा वस्तुओं के संचालन की कार्यप्रणाली

- 1) बैंक ग्राहकों को सुरक्षित जमा लॉकर/वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा सेवा प्रदान कर रहा है। यह सुविधा चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध है।
- 2) यह सुविधा समझौते के निष्पादन और उसमें वर्णित नियमों और शर्तों को पूरा करने के तहत प्रदान की जाएगी। लॉकर सुविधा की उपलब्धता एवं अन्य नियमों और शर्तों की जानकारी के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें।
- 3) लॉकर के संयुक्त संचालन की सुविधा "दोनों से कोई एक या उत्तरजीवी" अथवा "पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति" अथवा "कोई भी या उत्तरजीवी" खंड के साथ उपलब्ध हैं। अवयस्क को एकल या अपने प्राकृतिक अभिभावक या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से लॉकर किराये पर लेने की अनुमति नहीं है।
- 4) सुरक्षित जमा लॉकर खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
- 5) एकमात्र किरायेदार या संयुक्त लॉकर किरायेदार की अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के मामले में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों के दावों को एवं उनके अधिकार जिसमें लॉकर की सामग्रियों और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या शीर्षक / अधिकार के अन्य साक्ष्य जो लॉकर के सामग्रियों के साथ निहित है और ऐसे लॉकर को मृतक के स्थान पर किरायेदार मान लेने को बैंक अनुमति दे सकता है।
- 6) संयुक्त लॉकर किरायेदारों / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु होने की स्थिति में:
 - I. लॉकर की सामग्री का अधिकार स्वतः ही जीवित संयुक्त लॉकर किरायेदार को हस्तांतरित नहीं होता है, जब तक कि उत्तरजीविता खंड न हो।
 - II. सभी किरायेदार द्वारा जिसमें मृतक के सम्पूर्ण जीवनकाल में बैंक द्वारा दर्ज किये गये मृतक शामिल है बैंक को दिये निर्देशों के अनुसार सभी उत्तरजीवी या उनमें से उत्तरजीवी को लॉकर को संचालन करने हेतु बैंक द्वारा ऐसे मृत्यु क्र प्रमाण को मानने की तुष्टि के बाद हकदार बनाया जाएगा ।
 - III. किरायेदारों या मृतक के प्रतिनिधियों के पास इस तरह के निर्देशों को रद्द करने या बदलने की कोई शक्ति नहीं होगी एवं इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायलय के आदेशों के अलावा बैंक द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।